पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

कमांक 11321/अका./2013 रायपुर, दिनांक 23/07/2013

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यो की बैठक दिनांक 11–07–2013 के कार्यवृत्त

माननीय कुलपति डॉ. एस. के. पाण्डेय की अध्यक्षता में दिनॉक 11–07–2013 को दोपहर 03:00 बजे प्राचार्यो की बैठक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में आयोजित हुई कुलपति जी द्वारा सभी कॉलेजों में नैक के द्वारा मूल्यॉकन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित 2f / 12B के अंर्तगत मान्यता हेतु आवेदन करने, संबद्ध महाविद्यालयों में महिला छात्रावास में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था, रैगिंग के संबंध में महाविद्यालय स्तर पर सुदृढ़ व्यवस्था राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एन सी सी के माध्यम से युवाओं को रक्तदान एवं वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने, कला, शिल्प, एवं साहित्य के माध्यम से छात्रों को परिचित कराने। महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधन के अधिकतम उपयोग करते हुए गुणोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए समुचित व्यवस्था एवं महाविद्यालय द्वारा परीक्षाओं में अच्छे परिणाम के लिए अध्ययन अध्यापन की ओर छात्रों को प्रेरित करने इत्यादि अनेक बिंदुओं पर प्राचार्यो का ध्यान आकर्षित किया। कुलपति द्वारा अपने उद्‌बोधन में यह भी उल्लेख किया कि महाविद्यालय भी विश्वविद्यालय का परिवार का एक हिस्सा है अतः महाविद्यालय अपने आप को उच्च शिक्षा के विकास में तभी साबित कर पाएँगे जब उनके यहॉ अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राएँ अच्छे–अच्छे जगह स्थापित हो सके अतः इससे महाविद्यालय के साथ–साथ विश्वविद्यालय का नाम भी गौरान्वित होगा कुलपति द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन के माध्यम से भराने के लिए तैयार रहने के साथ ही महाविद्यालय में वेबसाईट की अनिवार्यता एवं प्रत्येक महाविद्यालय में ई–मेल आईडी निर्मित करने के लिए 31 अगस्त निर्धारित किया है। इसके साथ–साथ महाविद्यालय के सभी शिक्षकों को कम्प्यूटर जानकारी सुनिश्चित करने की ओर इंगित किया ताकि भविष्य में लिखित उत्तर पुस्तिका का मूल्यॉकन डिजिटॉईजेशन करने के बाद सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से कराया जा सके जिससे कम समय में मूल्यॉकन के साथ एवं परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित हो सके तथा पारदर्शिता के साथ रिकार्ड सुरक्षित रखा जा सके। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमो में सेमेस्टर प्रणाली अगले सत्र से लागू करने हेतु तैयार होने हेतु निर्देशित किया है । डॉ. आर. बाला. सुब्रामनियम, अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी महाविद्यालयों को नैक से मूल्यॉकन 31.08.2013 तक एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा 2f /12B भरकर जुलाई तक शीघ्र जमा करने हेतु निर्देशित किया इसके साथ–साथ MHRD की योजना All India Survey of Higher Education के द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में DFC- II जानकारी अपलोड करने हेतु निर्देशित किया इसके साथ–साथ डॉ. ए. के. पति, संचालक IQAC द्वारा नैक के संबंध में एवं डॉ. ए. के. गुप्ता, वि. क. अ. अनुदान प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के संबंध में

अनुदान प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दिया इस के साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्राचार्यों को निर्देशित किया गया –

1. प्रवेश के समय राज्य के बाहर के विद्यार्थियों के लिए पात्रता आवश्यक है।
2. प्रवेश उन्ही पाठ्यक्रमों में लिया जावे, जिनमें संबद्धता प्राप्त हुई है।
3. संबद्धता के लिए आवेदन करने के साथ प्रवेश नहीं दें, संबद्धता प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रवेश दें।
4. संबद्धता प्राप्त पाठयक्रमों के लिए निर्धारित सीट से ज्यादा प्रवेश नहीं दिया जावे।
5. निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्रकिया समाप्त होते ही शीघ्र प्रोफार्मा के अनुसार सूची वि. वि. को उपलब्ध करावें।
6. शासकीय महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं किया जाता है। अतः निर्धारित तिथि तक आवेदन किया जावे। ताकि संबद्धता संबंधी कार्यवाही की जा सके ।
7. परिनियम–27 के अनुसार नए पाठ्यक्रमों एवं नए महाविद्यालयों के लिए समस्त दस्तावेजों सहित आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित है। अतः इसी अनुसार आवेदन किया जावे।
8. जिन महाविद्यालयों को जिन पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता प्रदान की गई है। उसमें आगामी वर्ष की संबद्धता हेतु सशुल्क आवेदन दिया जावे। जिससे संबद्धता संबंधी कार्यवाही की जा सके।
9. अशासकीय महाविद्यालय नये नियम के अनुसार इंडोमेंड फंड शीघ्र जमा करावे, अन्यथा संबद्धता रोकी जा सकती है।
10. संबद्धता शुल्क 31 जुलाई तक अवश्य जमा किया जावे अन्यथा विलंब शुल्क 30 प्रतिशत सरचार्ज के साथ जमा करना होगा तथा निर्धारित अवधि में जमा नहीं करने पर संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
11. परिनियम–28 के अन्तर्गत निर्धारित स्टॉफ की भी नियुक्ति एवं आवश्यक मापदण्ड पूरा किया जावे तभी नए पाठ्यक्रमों के लिए सीट वृद्धि की अनुमति दी जा सकेगी।
12. महाविद्यालय को संबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रम एवं प्रवेश संख्या की जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाईट में उपलब्ध है। अतः उसी के अनुसार प्रवेश दे।
13. प्रवेश प्रकिया में शासन द्वारा अधिसूचित "प्रवेश मार्गदर्शिका " का अवश्य पालन किया जावे । प्रवेश मार्गदर्शिका का पालन नहीं करने पर विषम परिस्थिति की स्थिति में सभी जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।
14. प्रति वर्ष महाविद्यालय से प्रवेशित छात्र/छात्राओं की जानकारी मांगी जाती है। प्रायः देखा गया है कि कई महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध नहीं कराते तथा विलंब से जानकारी भेजते हैं । जिसके कारण राजभवन एवं उच्च शिक्षा विभाग को जानकारी देने में विलंब होता है। इस बात का ध्यान रखें की विश्वविद्यालय द्वारा चाही गई जानकारी अनिवार्य रूप निर्धारित प्रारूप में 20.08.2013 तक उपलब्ध कराई जावें।

15. विश्वविद्यालय के संबंद्ध महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों का नामांकन करना आवश्यक है। बेहतर होगा छात्रों का नामांकन महाविद्यालय में प्रवेश के समय ही नामांकन फार्म भरवाये जायें, ताकि 31.08.2013 तक समस्त छात्रों का नामांकन कार्य संपन्न कर परीक्षा फार्म भरने के पूर्व छात्र को नामांकन अंक आबंटित हो सके।
16. शिक्षकों की वरिष्ठता सूची वेबसाईट में उलब्ध है। अतः इसका अवलोकन कर त्रुटि से अवगत् करावें।
17. महाविद्यालयों को कुल प्रवेशित छात्रों से शारीरिक शिक्षा शुल्क (प्रत्येक छात्र से 50 रूपए के हिसाब) विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य। जिन महाविद्यालयों द्वारा पूर्व में जमा नहीं किया गया है वे जमा करें तथा सत्र 2013–14 में प्रवेशित छात्रों की शारीरिक शिक्षा शुल्क 50 रूपए प्रति छात्र के हिसाब से दिनांक 20 अगस्त 2013 जमा कर दी जावे।
18. कई प्रकरण ऐसे आये है कि महाविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण विषय को छोड़कर अन्य विषय के लिए परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित किये गये हैं जबकि स्नातक के छात्रों को तीनो वर्ष विषय परिवर्तन नहीं करना है जिससे अव्यवहारिक समस्या उत्पन्न होती है।
19. महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है। प्रायः देखा जाता है कि महाविद्यालय में उपस्थिति के प्रति कड़ाई नहीं बरती जाती, जो कि उचित नहीं है। महाविद्यालय सुनिश्चित करें कि छात्र नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहें। कम उपस्थिति वाले छात्रों की जानकारी पालकों को भी दी जावें। तथा ऐसे नियमित परीक्षार्थी जिनकी उपस्थिति निर्धारित मापदंड से कम है उनके परीक्षा आवेदन विश्वविद्यालय को अग्रेषित न किये जायें।
20. विगत दो वर्षो से महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली लागू है। किन्तु देखा जा रहा है कई महाविद्यालय संबंद्धित पाठ्यक्रम के अंक योजना (Marking Scheme) के अनुसार विश्वविद्यालय को अंक नहीं भेजते है। तथा ऐसे परीक्षार्थीयों के परीक्षा आवेदन विश्वविद्यालय को अग्रेषित किये जाते है, जो (Sessional) में अनुपस्थित रहते है। इस बात का ध्यान रखा जावे कि वहीं परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने का पात्र होगा जिसने सेशनल की परीक्षा दी हो तथा उनके Sessional अंक परीक्षा फार्म भरने के पूर्व विश्वविद्यालय को भेज दे।
21. मुख्य परीक्षा पूर्व सामान्यतः जनवरी–फरवरी माह में प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जिसकी सूचना छात्रों को कई बार उपलब्ध नहीं होती है और परीक्षायें सम्पन्न हो जाती है तथा शेष छात्र विश्वविद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा की मांग को लेकर आते है जो कि उचित नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जाये कि छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा की सूचना अनिवार्य रूप से दी जावें। अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी जिन्होने प्रायोगिक विषय का चयन किया है, उनके परीक्षा आवेदन बिना पंजीयन के स्वीकार न किया जावें।
22. प्रायः देखा जाता है कि महाविद्यालय द्वारा परीक्षा फार्म का बिना परीक्षण किये विश्वविद्यालय को अग्रेषित किया जाता है तथा अग्रेषण अधिकारी परीक्षा फार्म को अग्रेषित न कर हस्ताक्षर सील लगा

कर भेजते है। जिसमें कई प्रकार की त्रुटियां जैसे – 1. गलत विषय का चयन 2. ओ.एम.आर. शीट में सफेदा लगा होना 3. प्रमाणित अंकसूची का न होना 4. परीक्षा फार्म हॉयर सेकण्डरी की अंकसूची के अनुसार न भरा जाना जैसे तमाम त्रुटीयां होती है, जो कि उचित नहीं है। प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि उपरोक्त त्रुटियो न हों और पात्र परीक्षार्थियों का ही आवेदन अग्रेषित हो।

23. परीक्षा आवेदन जमा करते समय ध्यान रखा जावे कि संबंधित परीक्षार्थी के नाम, उपनाम, एवं आवश्यक जानकारी हायर सेकेण्डरी की अंकसूची के ही समान हो।
24. परीक्षा आवेदन जमा करते समय सभी अंकसूचियों की जांच की जावे। आवश्यकतानुसार मूल अंकसूची भी मंगाकर देखी जावे।
25. परीक्षा आवेदन के साथ ओएमआर शीट की भी पूर्ति में सावधानी बरतने के लिए महाविद्यालय स्तर पर परीक्षा आवेदन जमा करने के पूर्व प्राचार्यों अथवा उनके द्वारा निर्देशित शिक्षकों द्वारा जानकारी दी जावे।
26. प्रत्येक कक्षा के परिणाम घोषित करने के पश्चात् संबंधित महाविद्यालय द्वारा उनके केन्दों से परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों के रोके गए परिणाम घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित किया जावे, जिससे परिणाम शीघ्र घोषित किया जा सके।
27. पुर्नमूल्यांकन के पश्चात् जिन परीक्षार्थियों के अंक कम होते है, उनके पूर्व में जारी मूल अंकसूची वापस लेने की सुनिश्चित करें।
28. परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए पारिश्रमिक निर्धारित है। अतः विशेष परिस्थिति में किसी कार्य हेतु परीक्षा मद से व्यय करना आवश्यक हो तो पूर्व अनुमति ले ली जावें। ताकि भविष्य में समायोजन में दिक्कते न हो।
29. विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किए गये अग्रिम का हिसाब देकर समायोजन शीघ्र करा ली जावे।
30. प्रत्येक महाविद्यालय का स्वयं का वेबसाईट अनिवार्य है ताकि महाविद्यालय से संबंधित जानकारियों से सभी अवगत हो सके। शिक्षकों की विषयवार सूची एवं उनका बायोडाटा (cv) उपलब्ध हो।
31. महाविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति एवं अन्य सभी जानकारी भी वेबसाईट में नियमित रूप से अपलोड करें।
32. वित्तीय प्रकरणों में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली अग्रिम राशि एवं महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को हस्तांतरित की जाने वाली राशि नेट बैकिंग के माध्यम से किया जावे। अतः सभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को एकाउण्ट नम्बर एवं बैंक खाता से अवगत् करावें।
33. प्रत्येक महाविद्यालय का ई–मेल आईडी अनिवार्य है, ताकि सभी सूचनाएँ इसी माध्यम से महाविद्यालय को भी दी जा सके।
34. अकादमिक स्टॉफ कॉलेज के कार्यक्रमों में शिक्षकों को भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें तथा ऐसे चयनित शिक्षकों को अनिवार्य रूप से मुक्त करे।

35. सभी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 2f / 12B के लिए आवेदन किया जाना है।

36. सभी महाविद्यालय को नैक से मूल्यांकन कराना अनिवार्य है ताकि उन्हें केन्द्रीय वित्तीय एजेंसियों से वित्तीय अनुदान प्राप्त हो सके तथा अपने संस्था में IQAC की सेल स्थापित करे और इसके प्रभारी के नाम एवं पता की जानकारी DCDC को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(के0 के0 चन्द्राकर)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक 11322/अका./2013 रायपुर, दिनांक 23/07/2013

प्रतिलिपिः

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तसीगढ़, राजभवन
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
4. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
5. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता छात्र कल्याण
6. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण
7. समस्त विभागीय अधिकारी
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभारी अधिकारी (अका.)